न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा न0 विविध **240/2019**

प्रार्थी :–

1. देवाराम पुत्र गोमाराम जाति दर्जी निवासी लखानीओं की ढाणी तह. पचपदरा जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थी :–

1. जोगाराम पुत्र दलाराम
2. सवाईराम पुत्र दलाराम
3. रावलराम पुत्र दलाराम सभी जातियान दर्जी निवासीयान कालाथल तह0 पचपदरा
4. देवीसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत
5. तुलछसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत
6. हेमसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत
7. इन्द्रसिंह पुत्र पदमसिह जाति राजपूत सभी निवासीयान कालाथल तह. पचपदरा जिला बाडमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार पचपदरा

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956
वास्ते तरमीम दुरूस्ती

उपस्थित :– 1. श्री अचलाराम थोरी प्रार्थीगण वकील
2 श्री छत्रकरण भाटी विप्रार्थीगण वकील

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक :–5.3.202[illegible]

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि मौजा कालाथल पटवार हल्का नवातला की राजस्व सीमा में मूल खसरा सं. 248 अवस्थित रहा, तदोपरान्त उक्त मूल खसरा सं. 248 के नये तरमीमी खसरान सं. 721/248, 720/248, 722/721, 723/248 कृषि भूमि में पुराने खसरा सं. 248/1 नये वर्तमान खसरा सं. 722/721 पर बाद खरदी प्रार्थी का कब्जा काश्त निरन्तर सतत् रूप से बिना किसी अवरोध के कायम रहा व आज रोज भी काश्त किया जाता रहा है। तदोपरान्त हल्का पटवारी ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के मनमानी तरंग पर उपरोक्त कृषि भूमियों की मौके पर [illegible] कब्जे के विपरित तरमीम कर दी, खसरा सं. 723/248, 720/[illegible] [illegible] तरमीम को हटाकर वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज रकबे अनुसार मौके पर कब्जानुसार तरमीम दुरस्त [illegible] का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:23:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को सम्मन दिनांक 3.12.2019 को जारी किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 4 व 7 के वकील उपस्थित। दीगर विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से अलग–अलग इकबालीया जवाब पेश कर जाहिर किया कि मौजा कालाथल पटवार हल्का नवातला के मूल खसरा संख्या 248 के तरमीमी खसरान नं0 721/248, 720/248, 722/721, की माफिक इस्तदुआ तरमीम दुरूस्त की जाती है हम विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है । तहसीलदार पचपदरा को दिनांक 19.1.2021 को मौके व रेकर्ड तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हेतु तहरीर जारी की गयी। तहसीलदार पचपदरा द्वारा पत्रांक क्रमांक 534 दिनांक 19.2.2021 के द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मय मौका फर्द , नामान्तरकरण की प्रति, पंजीयन दस्तावेज की प्रति पेश की गयी ।

प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 4 व 7 वकील की बहस को सुना गया तथा प्रकरण का गौर से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजता प्रमाणित प्रतिलिपि 721/248, 720/248, 722/721, की जमाबंदी संवत् 2073–76 मय नक्शा लट्ठा ट्रेस का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पचपदरा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व लट्ठा ट्रेसे ग्राम कालाथल में खसरा न0 720/248 के स्थान पर 722/721 दर्ज ख.स. 722/721 के स्थान पर 720/248, दर्ज है। जबकि राजस्व रेकर्ड नक्शा व मौका नक्शा भिन्न है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपति प्रतीत नहीं की गई।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है कि ग्राम मौजा कालाथल पटवार हल्का नवातला मूल खसरा सं. 248 के तरमीमी खसरान नं0 721/248, 720/248, 722/721, मे गलत व अशुद्व तरमीम को निरस्त किया जाता है। वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रकबे एवं फर्द मौका दिनांक 17.02.2021 के अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार मौके पर कब्जानुसार तरमीम दुरूस्ती किया जावें। प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.02.2021 इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा ।

(सुरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 5.3.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:23:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner